P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

नारी की समाजिक दशा : वैदिक युग से आधुनिक युग तक

सारांश

विभिन्न युगों में महिलाओं की स्थिति एक समान नही रही है। प्राचीन युग में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें सुख वैभव, शान्ति शक्ति व ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। कही नारी की पूजा रणचंडी दुर्गा के रूप में हुई है तो कहीं माँ सरस्वती के रूप में । नारी सुन्दरता की प्रतीक होने के नाते तारीफ का पात्र रही है।

मुख्य शब्द : युग, प्राचीन, महिला, स्थान, वैदिक, काल, नारी, पुरुष, समस्या।

रेनू शुक्ला
प्रवक्ता,
गृह विज्ञान विभाग,
यशोदा कन्या महाविद्यालय,
मिश्रिख, सीतापुर (उ0प्र0)
भारत

प्रस्तावना

जहां नारियों की पूजा होती हैं वहां देवता निवास करते हैं लेकिन धीरे – धीरे नारियों के स्थान में परिवर्तन होता गया। पुरूषों ने नारियों को दुर्बल समझकर उनके अधिकार व कार्य सीमा पर हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप एक समय ऐसा भी आया जबकि नारियों की सीमा घर की चारदीवारी तक सीमित होकर रह गई। परिवार में कन्या का जन्म अशुभ माना जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में नारियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ हैं। हमारें देश की नारियाँ आज हर क्षेत्र में पुरूषों की बराबरी करने का प्रयास कर रही हैं। भारतीय समाज में नारियों की स्थिति या स्थान का संक्षिप्त अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है–

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति

वैदिक काल में स्त्री समाजरूपी रथ के एक पहियें की समान थी। वैदिक कालीन समाज में नारी को बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त था। मानसिक तथा धार्मिक नेतृत्व में नारियों का अच्छा सहयोग रहता था, इस समय पर्दे की प्रथा का उदय नही हुआ था शिक्षा प्राप्त करनें का अधिकार भी पुरूषों के समान ही था, धार्मिक साहित्य में रूचि रखनें वाली नारियों की भी किसी भी प्रकार का अवरोध नही था। कई ऋषि नारियों की रचनाएं ऋगवेद संहिता में आज भी देखने को मिलती है। वैदिक काल में यदि मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं थी, तो कूर स्वभाव की नारियां भी थी। परन्तु कन्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक स्त्री जाति का बड़ा सम्मान व सत्कार किया जाता था। जो कन्या सारी उम्र अविवाहित रहती थी उसको अपने पिता की सम्पत्ति में ही अंश मिलता था। वैदिक कालीन स्त्री शिक्षा के साथ वीरता में भी काफी आगे थी। उस समय पुत्री जन्म पर माता पिता शोक नही मनाते थे। क्योंकि ऋगवेद में अनेक स्थानों पर पुत्रियों की दीर्घायु के लिए कामना का उल्लेख है। पुत्र के न होने पर पुत्री को पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाता था। पत्नि के रूप में वे पुरूष सहधार्मिणी के रूप में देखी जाती थी। बिना उनके किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न नही होता था, वे अपने पतियों के साथ यज्ञ करती और दान देती , सोमरस बनाती तथा स्वयं भी पीती थी। समारोहों एवं उत्सवों में विशेष श्रृंगार भी करती थी। नारियों का जैसा शारीरिक गठन होता था उसी आधार पर वे घरेलू कार्य करती थी। जब तक कुमारी रहती तब तक पिता के घर गृहस्थी के सब काम सीखती तथा उसमें महारत प्राप्त करती थी और विवाहित होने के पश्चात पति की देख रेख में रहती थी नारियों को विवाह आदि में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी तरूण पुरूषों और स्त्रियों को मिलने –जुलने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी।

वे अपने इच्छानुसार प्यार भी करते थे और विवाह भी करते थे इस समय नारियों के मानसिक विकास की ओर पूरा ध्यान दिया जाता था। ऋग्वेद में विश्ववरा, धोप्या, अपाला लोपामुद्रा आदि ऐसी परम विदुषी नारियों का परम उल्लेख है, जिन्होने वेद मत्रों की रचना की थी।

विधवा नारी

वैदिक काल में विधवा नारी को भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। ऋगवेद के मंत्रों से विधवा जीवन ज्ञान हमें होता है। एक मंत्र में इस प्रकार

कहा गया है– उठो स्त्री ! तुम जिसके पास खडी हो जिसका जीवन समाप्त हो चुका हैं अपने पति से दूर हटकर जीवित के संसार में जाओं और उसकी पत्नि बनों जो तुमसे विवाह करनें को तैयार हैं।

समाज में गणिकाओं का विशिष्ट स्थान

यद्यपि वेदों, जो कि हिन्दू सभ्यता का प्राचीनतम रिकार्ड है, में भी वेश्यावृत्ति का कहीं–कहीं मिलता है लेकिन तब भी इसका स्वरूप भिन्न था। प्रायः इस जीवन के लिए इच्छुक दासियां भी वेश्याएं बनती थी। फिर भी समाज में उनकी विशिष्ट स्थिति मान्य थी। उनका स्तर निष्कृष्ट न था न ही वे यौन शोषण का माध्यम थी। उस समाज में वेश्यावृत्ति को एक समाजोपयोगी संस्था के रूप में न केवल मान्यता प्राप्त था समाज में स्थिरता व उसकी व्यवस्था के लिए इसकी महत्ता को स्वीकार किया गया था। इसलिए उसे राज्य – संरक्षण प्राप्त था।

इस मान्य समाजिक स्थिति व राज्य– संक्षरित सिथति में उन पर कानूनी प्रतिबंध लगाने का प्रश्न ही नही उठता था। अतः निश्चय ही तब यह कानूनी संस्था नही थी।

उत्तर वैदिक युग (600 ई. 300 ई. पू.) में महिलाओं की स्थिति

इस काल में नारियों की दशा में कुछ हास हुआ। नारियों को वेदपाठ की मनाही की गई तथा उनके यज्ञ करने पर रोक लगायी गयी। पति के परमेश्वर होने की भावना का बीजारोपण हुआ विधवा पुनर्विवाह का पूर्ण निषेध हुआ और बाल – विवाह का आरम्भ हुआ। धीरें धीरें नारियों पर अनेक निषेध लगा दिये गए। इनसे उनकी परिस्थिति काफी निम्न हो गई लड़की पैदा होना परिवार के लिए अभिशाप माना जाने लगा। लेकिन इन सबके बावजूद नारी की स्थिति ज्यादा शोचनीय नहीं थी।

धर्मशास्त्र युग में महिलाओं की स्थिति

तीसरी सदी से 11वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक को स्मृति युग भी कहा जाता है। ऐसा माना गया कि नारियों को बाल्यपन पिता के संरक्षण में बितानी चाहिए। बाल विवाह का जोर विवाह में कन्या की रूचि, का अन्त पुरूष का नारी पर पूर्ण नियंत्रण विधवा पुनर्विवाह का निषेध सती प्रथा आदि से पारी की गिरती हुई दशा का अनुमान लगाया जा सकता है।

मध्य युग में महिलाओं की स्थिति

मध्य युग में महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ। इस युग में स्त्री शिक्षा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई कन्या की उम्र 8–9 वर्ष की होते ही विवाह किये जानें लगे। विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंधित हो गया। परदा प्रथा शुरू हो गई सती प्रथा पर पूर्णतया रोक लगा दी गई। इस युग में मुख्य रूप से नारियों की आर्थिक पराधीनता, कुलीनविवाह प्रथा, अन्तर्विवाह, बालविवाह, अशिक्षा और संयुक्त परिवार प्रणाली को ऐसे कारण माना गया है जिनसे महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हो गयी।

आधुनिक युग में महिलाओं की स्थिति

वर्तमान युग में मध्य 19वीं सदी से आगे में भारतीय समाज में नारियों की स्थिति का अध्ययन दो उपशीर्षकां के अर्न्तगत किया जा सकता है– स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारियों की दशा, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय महिलाएं विभिन्न सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक एवं परिवारिक समस्याओं का झेलती रही इस युग में नारियों की निम्न परिस्थिति बनाए रखनें में अशिक्षा, आर्थिक पराधीनता, बाल विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली, वैवाहिक प्रथाएं कुलीन विवाह बहुपत्नि प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, दहेज आदि तथा मुसलमानों के आक्रमण आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ। सरकार गैर सरकारी संगठनों महिला संगठनों सहित समाज सुधारकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप आज भारतीय नारी की परिस्थिति मध्य काल की नारी से कही ऊँची है। राजा राम मोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, एनी बेसेन्ट तथा महात्मा गाँधी ने नारी उत्थान के लिए काफी कार्य किए। आज भारतीय नारी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार प्राप्त है। आर्थिक क्षेत्र में वे पुरूषों के साथ कन्धें से कन्धा मिलाकर कार्य कर रही है। राजनीतिक क्षेत्र में भी नारियां पुरूषों से पीछे नही है।

वर्तमान दौर में महिलाएं मात्र खाना पकानें वाली महिला नही रही बल्कि वो हर पल कन्धें से कन्धा मिलाकर अपने पति के साथ चलती है, जैसें –

इन्दिरा गांधी, मोनिका गांधी, शीला दीक्षित, फूलन देवी आदि जैसी महिलाएं इनका उदाहरण है।

स्थानीय स्तर पर पंचायतों में उन्हें आरक्षण की सुविधाएं भी प्राप्त हो गई है। राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा में भी उनके आरक्षण हेतु सभी राजनीतिक दलों की जीवनसाथी बनती जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के प्रसार औद्योगीकरण व नगरीकरण एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि नारियों में सामाजिक चेतना, अन्तर्जातीय व प्रेम विवाहों के प्रचलन, राजनैतिक चेतना तथा वैधानिक सुविधाओं जैसे नारियों की परिस्थिति को पुरूषों के बराबर लानें में सहायता दी है। राजनीति में प्रवेश के कारण नारियां शक्ति सम्पन्न पदों पर भी पहुचनें में सफल रही है।

महिलाओं की वर्तमान स्थिति

आज भारतीय नारी अन्य राज्यों की नारियों से किसी भी क्षेत्र में पीछें नही है। वे राष्ट्र के सभी सेवा क्षेत्रों में संलग्न है राजनीतिक क्षेत्र में भी वे पुरूषों से कम नही रह पाई है। यह सब विवेचन भविष्य के लिए स्वर्णिम संकेत है कि भारतीय नारी के भावी जीवन से धीरें – धीरें सभी दूषित एवं सामाजिक बुराइयां दूर हो जाएगी। वे अपना मानसिक विकास कर सकेंगी तथा पुरूषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नही रहेगीं। आर्थिक दृष्टि से भी वे किसी पर आश्रित नहीं रहेगी। अब भारतीय नारी अबला न बनकर सबला बन गई है। हमारें देश में शिक्षा का काफी प्रसार हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि नारी को परिवार का न्यून सदस्य नही समझना चाहिए। समाज में स्थिति व सम्मान बढ़ा हैं पर घर की भूमिका में खास परिवर्तन न होने से घर के काम भी उन्हें करने पडतें है। इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ता है आइए समझें कि वर्तमान में नारी की समस्याएं क्या है?

शैक्षणिक समस्याएं

भारत में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। स्त्रियों में तो यह प्रतिशत और भी निम्न हैं 1991 में महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत 39.29 व पुरूष का 64. 13 था जो 2001 में बढकर क्रमशः 54.16 व 75.85 हो गया। यह भिन्नता अलग–अलग है। केरल में साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है, जबकि बिहार व झारखण्ड में कम है। बिहार में तो स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत केवल 33.95 करोड स्त्रियां सबसें कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 18.95 करोड़ स्त्रियां निरक्षर है। भारत में नगरों की तुलना में गांवों में तो साक्षरता बहुत कम है। डाक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत एवं अन्य तकनीक शिक्षा प्राप्त करनें वाली लड़कियों की संख्या तो और भी कम है। स्त्रियों को शिक्षा न दिलाने का कारण पर्दा प्रथा और स्त्रियों पर निर्भरता एवं उनका कार्य क्षेत्र घर तक ही सीमित होना है।

आर्थिक समस्याएं

भारत में पुरूषों में अपेक्षा में स्त्रियों को कम वेतन एवं पारिश्रमिक दिया जाता है। चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग हो या अन्य क्षेत्र हो, अधिकांशतः महिलाएं कृषि कार्य से ही सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त वे खनन पशुपालन एवं श्रमिक कार्य में भी लगी हुई है। उच्च पदों पर आसीन स्त्रियां तो गिनती की हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली पुरूषों पर निर्भरता स्त्री शिक्षा, अज्ञानता, पर्दा प्रथा रूढ़िवादिता आदि कारणों से स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर तक सीमित है, और वे अक्सर कमानें के लिए बाहर नही आती है फलस्वरूप उन्हें अपने भरण पोषण के लिए पुरूष से ही आशा रखनी होती है। निम्न आर्थिक दशा के कारण परिवार एवं समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा उच्च नही हो पाती है, और उन्हें कई दुष्परिणाम सहनें पडतें हैं।

समाज से जुड़ी समस्याएँ

स्त्रियों की एक समस्या स्त्री–पुरूषों की भूमिका में विभेद करने की है। यद्यपि भारतीय संविधान में स्त्री पुरूषों के मध्य अधिकारों की समानता पर बल दिया गया है। स्त्रियाँ चाहें खेतों में कारखानों में भवन निर्माण एवं खदानों में काम करें एवं सफेदपोश नौकरियाँ करें उनसे उसी प्रकार गृहकायों के निर्वाह की आशा की जाती है जिस प्रकार एक गृहस्थी तक सीमित स्त्री से की जाती है। बाहरी दुनियाँ में उनकी भूमिका को पुरूषों की भूमिका की भाँति स्वीकार नहीं किया गया है। समुदाय के लिये निर्णय लेने, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने, गाँव एवं जाति पंचायत में भाग लेने आदि कार्यों को पुरूषों तक ही सीमित किया गया है। घर के बाहर पुरूष चाहें शारीरिक श्रम का कार्य करे, लेकिन वही कार्य घर में करना उसके लिये अपमान जनक माना जाता है। और स्त्री से ही उसे करने की अपेक्षा की जाती है।

स्वास्थ से जुड़ी समस्याएँ

गरीबी, बेकारी, स्वास्थ के नियमों के प्रति अज्ञानता चिकित्सा सुविधाओं का अभाव एवं व्यापक बीमारियां आदि कारणों से भारत में स्वास्थ्य का निम्न स्तर पाया जाता है। चूंकि भारतीय समाज पुरूष–प्रधान हैं, अतः पुरूषों के स्वास्थ्य का तो फिर भी ध्यान रखा जाता हैं, किन्तु स्त्रियों के स्वास्थ्य की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है इसी कारण यहाँ लिंग अनुपात में पुरूषों की अधिकता, स्त्रियों की औसत आयु में कमी एवं मृत्यु –दर की अधिकता के लिए बाल विवाह प्रसव काल में स्त्रियाँ की मृत्यु स्त्रियों की आर्थिक पराश्रितता लड़कियाँ की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देना, कृपोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आदि उत्तरदायी है। आधिकाशंतः महिलाओं में यौन सम्बन्धी रोग भी अधिक देखने को मिलते हैं।

वैवाहिक समस्याएं

भारत में महिलाओं की विवाह से जुड़ी विभिन्न समस्याएं हैं जिनमें से कुछ प्रमुख समस्याओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है–

विधवा पुनर्विवाह

एक पुरूष कई स्त्रियों से वैवाहिक संबंध बना सकता है। लेकिन एक विधवा पुनर्विवाह को समाज में निम्न नजरों से देखा जाता है।

पर्दा–प्रथा

हमारे देश में पर्दा – प्रथा का प्रचलन है जिससे महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या कहा जा सकता है क्योंकि पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, वे शिक्षा ग्रहण करने सें वंचित रह जाती हैं तथा इससे स्वास्थ्य पर भी घातक असर होता है। वर्तमान में धीरे–धीरे यह प्रथा समाप्त होती जा रही है

प्राचीन काल से हमारे देश में वेश्यावृत्ति की अवधारणा अस्तित्व में रही है जबकि वेश्यावृत्ति किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप है। वेश्यावृत्ति का वर्तमान में व्यापारीकरण हुआ है। यौन पवित्रता पर बल, बाल विवाह, विधवा विवाह का अभाव दहेज, जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की इच्छा गरीबी नारी की आर्थिक पराश्रिता, दुःखी वैवाहित जीवन एवं स्त्रियाँ के लिए रोजगार के अपर्याप्त अवसर, आदि ऐसे कारण हैं जिन्होने इस बुराई को फैलाने में योग दिया है।

बाल–विवाह

बाल – विवाह अथवा कम आयु में विवाह कर देना।

दहेज

दहेज अथवा अभिशाप के रूप में स्त्री के विवाह पर समाज की देन।

बहुपत्नी विवाह

एक आदमी अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता हैं।

तलाक

बेमेल विवाह की स्थिति में पुरूषों का हथियार जिसका शिकार महिलाएं होती है।

परिवार से जुड़ी समस्याएँ

भारतीय समाज पुरूष प्रधान है भारत में परम्परात्मक रूप से पति–सत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है जिसे परिवार के पुरूष सदस्यों को तो अनेक अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त है, किन्तु स्त्रियाँ को उनसे वंचित किया गया है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में स्त्रियाँ घरेलू हिंसा व मानसिक उत्पीड़न का शिकार रहती

हैं परिवार की शान बान के लिए वह भेदभाव की शिकार होती हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र में वैदिक काल से आधुनिक काल तक समाज में नारी के स्थान एवं दशा का अध्ययन किया गया है। कि किस प्रकार विविध युगों में कभी नारी को स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला और नारी को विदुषी कहा जाता था और कभी नारी को मात्र भोग विलास की वस्तु समझा गया कभी वेदों में पुत्रियों के दीर्घायु होने की कामना की गयी और कभी पुत्रियों के जन्म लेते ही हत्या कर दी गयी। वैदिक काल में स्त्री को समाजरूपी गाड़ी का एक पहिया समझा गया तो मध्ययुग में बाल विवाह अशिक्षा और पराधीनता थोपी गयी और किस प्रकार आधुनिक युग (20वीं सदी) में पुनः महिलाओं की स्थिति में पुनः सुधार हुआ और वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर समाज के विकास में अपना समान योगदान दे रही हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय महिलाओं के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। अतः इन समस्याओं का समाधान किये बिना समानता के इस युग में स्त्रियों को उनकी सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। स्त्रियों की दशा को सुधारने तथा उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने हेतु यहाँ सुधार आंदोलन हुए हैं और सरकारी व गैर–सरकारी स्तर पर कल्याण कार्य भी किए गए हैं ।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

डा0 राजकुमार – महिला एवं विकास

जया पाण्डेय – सूचना का अधिकार एवं महिला सशक्तीकरण

ए0ए0 नासिरी – वैदिक कालीन भारत

प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति प्रष्ठ सं0 41